न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 192/2017

बउनवान

पप्पू पुत्र मदनलाल आयु–39 वर्ष, जाति–कुम्हार निवासी–कलमण्डा तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 19.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.07.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कलमण्डा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 592 रकबा 0.06 हैक्टर, किस्म माल 1 पर ईट भट्टा लगाकर अकृषि कार्य करने के लिये पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर, 1125/–रूपये अर्थदण्ड, ईट भट्टा जप्ती, नीलामी एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर नहीं दिया है। निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2015 निरस्त फरमाया जावे।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को किसी प्रकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रोपर तामील कराये अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट ने खाते की

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.09 10:48:18 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पर ईट भट्टा संचालन किया हुआ है, सरकारी भूमि पर काई अतिक्रमण नहीं है। वर्तमान में भी सरकारी भूमि खाली पडी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को उक्त आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य व दस्तावेजात् व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2015 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने खाते व राजकीय भूमि पर बिना स्वीकृति के ईट भट्टा लगा कर अतिक्रमण किया है तथा अपीलांट को पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है तथा इसके विपरीत पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन व विवेचित तथ्यों पर मनन करने से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिया है। किन्तु अपीलांट के कथन से हम सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमी सिद्ध करने से पूर्व पत्रावली पर पश्चात्वर्ती बाबत रेकार्ड को पत्रावली पर नहीं लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात् को पत्रावली में शामिल नहीं कर विधिक भूल की है। चूकि अपीलांट का कथन है कि उसने उक्त आराजी से ईट भट्टा हटा लिया है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 22/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 28.07.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.12.09 10:48:18 IST
Reason: SelfAttested